

विशेष मूल निवास हेतु आवेदन पत्र

(1 जनवरी 1970 से पूर्व जनजाति उपयोजना क्षेत्र में निवासरत के लिए)

प्रार्थी का फोटो

(पासपोर्ट साईज)

(अभिराषा करने वाले
उत्तरदायी व्यक्ति से
फोटो सत्यापित करावें)

1. प्रार्थी का नाम
2. पिता / पति का नाम
3. वर्तमान स्थायी पता
4. पिता/पति का मूल स्थान
5. पिता / पति का व्यवसाय

(अगर पिता/पति राज. सरकार या राजकीय उपक्रम में कर्मचारी हैं तो प्रमाण - पत्र संलग्न करें)

6. पिता / पति के व्यवसाय

7. जन्म स्थान गांव तहसील जिला

8. जन्म दिनांक

9. 1 जनवरी 1970 से पूर्व से निरन्तर निवास के निर्धारण हेतु निम्न अभिलेख का आधार बनाया जा सकता है

1. मतदाता सूची की प्रति
2. भू-अभिलेखों की प्रति
3. इसके अतिरिक्त विश्वसनीय अभिलेखीय प्रमाण

10. आपने किस कक्षा तक और कहां तक शिक्षा प्राप्त की (प्रमाण पत्र संलग्न करें)

| कक्षा | शिक्षण संस्थान का नाम | स्थान |
|--------------|-----------------------|-------|
| कक्षा 1 से 9 | | |
| 10 वीं | | |
| 12 वीं | | |
| स्नातक | | |
| स्नातकोत्तर | | |

11. स्वयं/पिता की अचल सम्पत्ति का विवरण यद्य स्थान -

अगर किराये के भवनों में रह रहे तो किराया नामा सम्बन्धी विश्वसनीय दस्तावेज संलग्न करें।

12. क्या राशन कार्ड बना हुआ है।

हाँ/नहीं

13. राशन कार्ड जारी किये जाने की दिनांक

14. क्या मतदाता सूची में स्वयं का /पिता/पति का नाम है ?

हाँ/नहीं

15. आपका परिवार जनजाती उपयोजना क्षेत्र में कितने वर्षों से रह रहा है।

16. मोबाईल नम्बर

(स्वयं का या अन्य का जिस पर प्रार्थी आवेदन से संबंधित एस.एम.एस. द्वारा सूचना चाहता है)

2. महिलाओं के लिए:-

1. क्या आप विवाहित हैं।

2. आपका विवाह कब और किसके साथ हुआ ?

3. क्या आपके पति राजस्थान के मूल निवासी हैं ?

4. आप अपने पति के साथ कब से एवं किस स्थान पर रह रही हैं ?

मैं तसदीक करता/करती हूँ कि उपरोक्त विवरण सही जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सही हैं।

दिनांक :

स्थान :

प्रार्थी के हस्ताक्षर

(राज्य सरकार ने 1 जनवरी 2015 के नोटरी पब्लिक से प्रमाणित कराने की व्यवस्था को समाप्त कर स्वयं द्वारा दस्तावेजों को प्रमाणित कराने की व्यवस्था की है) (शपथ-पत्र में अस्तित्व तथ्य वर्णित करना भारतीय सण्ड संहिता (आईपीसी) की धारा 193 के अधीन तीन वर्ष तक के कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डनीय है)

शपथ-पत्र

(बादलिग होने की दशा में) (स्वयं द्वारा)

मैं पुत्र/पुत्री की निवासी

राजस्थान का हूँ व सशपथ बयान करता/करती हूँ कि-

1. यह है कि मैं गांव/तहसील का मूल निवासी हूँ।
2. यह है कि मैं वर्तमान में उक्त पते पर निवास कर रहा हूँ।
3. यह है कि मेरी समस्त शिक्षा गांव/तहसील/ शहर की है।
4. यह है कि मैंने अभी अपना मूल निवास प्रमाण पत्र भारत वर्ष के किसी भी स्थान से नहीं बनाया है।
5. यह है कि मैं यह शपथ पत्र अपना मूल निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ।
6. यह है कि मेरा परिवार राजस्थान के जनजाति उपयोजना क्षेत्र के ग्राम /नगर में 1 जनवरी 1970 से पूर्व से रह रहा हूँ/रही

(अ) स्थान समय (ब) स्थान समय (स) स्थान समय

हस्ताक्षर शपथ ग्रहिता

सत्यापन

मैं उपरोक्त शपथ ग्रहिता सत्यापित करता/करती हूँ कि उक्त शपथ पत्र में वर्णित समस्त तथ्य सत्य एवं सही हैं ईश्वर मेरा साक्षी हैं।

(अभिशंका करने वाले उत्तरदायी व्यक्ति के हस्ताक्षर)

हस्ताक्षर शपथ ग्रहिता

शपथ पत्र

(नबादलिग होने की दशा में) (पिता अभिभावक द्वारा)

मैं पुत्र/पुत्री की निवासी

राजस्थान के जनजाति उपयोजना क्षेत्र का हूँ व सशपथ बयान करता/करती हूँ कि-

1. यह है कि मैं गांव/तहसील का मूल निवासी हूँ।
2. यह है कि मैं वर्तमान में उक्त पते पर निवास कर रहा हूँ।
3. यह है कि मेरी समस्त शिक्षा गांव/तहसील/ शहर की है।
4. यह है कि मैंने अभी अपना विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र भारत वर्ष के किसी भी स्थान से नहीं बनाया है।
5. यह है कि मैं यह शपथ पत्र अपना विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ।
6. यह है कि मेरा परिवार राजस्थान के जनजाति उपयोजना क्षेत्र के ग्राम /नगर में 1 जनवरी 1970 से पूर्व से रह रहा हूँ/रही हूँ
7. (अ) स्थान समय (ब) स्थान समय (स) स्थान समय

हस्ताक्षर शपथ ग्रहिता

सत्यापन

मैं उपरोक्त शपथ ग्रहिता सत्यापित करता/करती हूँ कि उक्त शपथ पत्र में वर्णित समस्त तथ्य सत्य एवं सही हैं ईश्वर मेरा साक्षी हैं।

(अभिशंका करने वाले उत्तरदायी व्यक्ति के हस्ताक्षर)

हस्ताक्षर शपथ ग्रहिता

शपथ पत्र

(विवाहित महिलाओं के लिए)

मैं पत्नी श्री निवासी

राजस्थान के जनजाति उपयोजना क्षेत्र की हूँ व सशपथ बयान करती हूँ कि-

1. यह है कि मैं विवाह पंढ्यात् उपरोक्त पते पर निवास करती हूँ।
2. यह है कि मेरे पति राजस्थान के मूल निवासी हैं।
3. यह है कि मैंने अभी अपना विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र भारत वर्ष के किसी भी स्थान से नहीं बनाया है।
4. यह है कि मैं यह शपथ पत्र अपना विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए प्रस्तुत कर रही हूँ।

हस्ताक्षर शपथ ग्रहिता

सत्यापन

मैं उपरोक्त शपथ ग्रहिता सत्यापित करता/करती हूँ कि उक्त शपथ पत्र में वर्णित समस्त तथ्य सत्य एवं सही हैं ईश्वर मेरा साक्षी हैं।

(अभिशंका करने वाले उत्तरदायी व्यक्ति के हस्ताक्षर)

हस्ताक्षर शपथ ग्रहिता

III. नोट:- आवेदन पत्र के साथ निम्न संलग्न करें -

1. आवेदक की नवीनतम फोटो जिसे आवेदन पत्र पर दिये गये स्थान पर चिपकाए (स्टैपल नहीं करना है) तथा उसे अभिशप्ता करने वाले उत्तरदायी व्यक्ति से सत्यापित करावें।
2. आवेदन पत्र में दिये गये शपथ पत्र को अभिशप्ता करने वाले उत्तरदायी व्यक्ति से सत्यापित करावें।
3. 1 जनवरी 1970 से पूर्व निरन्तर निवासरत के प्रमाण का दरतावेज/मू-अभिलेख की प्रति/मतदाता सूची/अन्य विश्वसनीय दस्तावेज/राशन कार्ड/अचल सम्पत्ति के मालिकाना हक संबंधी / किरायानामा/गैस कनेक्शन/विजली, धानी, टेलीफोन बिल की प्रमाणित प्रति।
4. मतदाता सूची शिक्षा प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति।
5. दो उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रमाण पत्र यथा - संसद सदस्य/विधान सभा सदस्य/राजपत्रित अधिकारी/जिला प्रमुख/प्रधान/जिलापरिषद सदस्य/ सरपंच/ग्राम सेवक/पटवारी/महापौर/नगर नियम सदस्य/ नगर पालिका अध्यक्ष/स्कूल के हेड मास्टर/ संबंधित पी.एच.सी./सी.एच.सी. के डॉक्टर/ वी.डी.ओ./सहायक अभियन्ता/कनिष्ठ अभियन्ता/बीट प्रहारी (पुलिस)आदि।

दो उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रमाण पत्र

मैं पुत्र/पुत्री श्री निवासी
राजकीय सेवा पद पर कार्यरत हूँ एवं शपथ पूर्वक बयान करता हूँ
कि, प्रार्थी/ प्रार्थीया श्री पुत्र/पुत्री श्री निवासी
को भली प्रकार से जानता हूँ, इनका परिवार 1 जनवरी 1970 के पूर्व से जनजाति उपयोग क्षेत्र जिला
राजस्थान में निवास कर रहे/ रही हैं।

(हस्ताक्षर प्रथम / उत्तरदायी व्यक्ति)

मैं पुत्र/पुत्री श्री निवासी
राजकीय सेवा पद पर कार्यरत हूँ एवं शपथ पूर्वक बयान करता हूँ
कि, प्रार्थी/ प्रार्थीया श्री पुत्र/पुत्री श्री निवासी
को भली प्रकार से जानता हूँ, इनका परिवार 1 जनवरी 1970 के पूर्व से जनजाति उपयोग क्षेत्र उक्त विकास जिला
राजस्थान में निवास कर रहे/ रही हैं।

(हस्ताक्षर द्वितीय/ उत्तरदायी व्यक्ति)

आवेदन पत्र के साथ संलग्न -

1.
2.
3.
4.
5.

विशेष मुल निवास प्रमाण पत्र जारी करने हेतु जांच रिपोर्ट

1. आवेदक का नाम
2. आवेदक के पिता/पति का नाम
3. आवेदक की जन्म तिथि
4. जाति
5. शैक्षणिक योग्यता
6. परीवार राशन कार्ड संख्या
- (राशनकार्ड की फोटो प्रति राजपत्रित अधिकारी अथवा पटवारी से सत्यापित हो संलग्न करें।)
7. आवेदक का पता
8. आवेदक के स्वयं/पिता के रिहायशी मकान का पुर्ण विवरण
ग्राम मोहल्ला/वार्ड न.
मकान के पड़ौस
पुर्व
पश्चिम
उत्तर
दक्षिण

9. दि.आवेदक के पिता/स्वयं के नाम कृषि भूमी हो तो विवरण :-
ग्राम खाता सं./खसरा सं.
क्षेत्रफल किस्म
खाते में पृविष्टि

10. मतदाता सूची में पृविष्ट का विवरण :-
विधानसभा क्षेत्र

| वर्ष | भाग संख्या | क्रम संख्या | पृवि ठ का नाम |
|-------------|------------|-------------|---------------|
| 1983 | | | |
| 1993 / 1995 | | | |
| 1995 / 2005 | | | |
| 2006 / 2011 | | | |

11. अन्य विवरण :-

12. आवेदक ग्राम/शहर :-

दिनांक

हस्ताक्षर पटवारी
(मय सील)

विशेष मूल निवास हेतु शपथ पत्र

मैं श्री पिता श्री उम्र वर्ष निवासी तहसील
..... जिला राजस्थान का होकर शपथ पूर्वक कथन करता हूँ की

- 1- मैं शपथ पूर्वक कथन हूँ की मैं ग्राम तहसील जिला
राजस्थान का मूल निवासी हूँ
- 2- मैं शपथ पूर्वक कथन करता हूँ की मैं जन्म से ग्राम तहसील में रह
रहा हूँ
- 3- मैं शपथ पूर्वक कथन करता हूँ की मेरा ग्राम पंचायत द्वारा जारी मेरे
के नाम से राशन कार्ड संख्या की क्रम संख्या पर मेरा नाम दर्ज है
- 4- मैं शपथ पूर्वक कथन करता हूँ कि विधान सभा निर्वाचन नामावली की भाग
..... की क्रम संख्या पर मेरे का नाम दर्ज है
- 5- मैं शपथ पूर्वक कथन करता हूँ की मैं अपने के लिए विशेष मूल निवास प्रमाण
पत्र चाहता हूँ
दिनांक
स्थान

सत्यापन

मैं शपथ पूर्वक कथन करता हूँ की उपरोक्त तथ्य मेरे ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार सही व सत्य
हैं मैंने कोई तथ्य नहीं छिपाया है

दिनांक
स्थान

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी

जिला-.....(राजस्थान)

क्रमांक :

दिनांक :...../...../.....

पासपोर्ट
साईज फोटो

विशेष मूल निवास प्रमाण-पत्र

राजस्थान सरकार कार्मिक (क-2) विभाग, राजस्थान जयपुर की अधिसूचना दिनांक 04/07/2016 के अनुसार अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों से ऐसे व्यक्ति अभिप्रेत है जो अनुसूचित क्षेत्र के सदभावी निवासी है और जो स्वयं या यदि उनका जन्म 1 जनवरी 1970 के बाद हुआ है तो उनके माता-पिता/पूर्वज 1 जनवरी 1970 के पूर्व अनुसूचित क्षेत्र के सदभावी निवासी रहे है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री.....

पिता श्री..... निवासी.....

तहसील..... जिला..... राजस्थान का उक्त अधिसूचना

के अनुसार अनुसूचित क्षेत्र का मुल निवासी है।

हस्ताक्षर अधिकारी
मय मोहर